भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब में गोदामों का बनाया जाना

3327. **श्री विनोद शर्मा :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में अनेक गोदाम बनाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान इन गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम ने अनेक गोदाम किराए पर लिए हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकारी और निजी क्षेत्र से अलग-अलग कितने-कितने गोदाम किराए पर लिए गए हैं और प्रत्येक मामले में भंडारण क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकारी और निजी क्षेत्र से किराए पर लिए गए गोदामों के लिए अलग-अलग दरों पर किराए का भुगतान किया जाता है ; यदि हां, तो किराए की दरें कितनी-कितनी हैं ;

(च) क्या यह भी सच है कि निगम के अनेक गोदामों की भंडारण क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और गोदामों की भंडारण क्षमता का किस हद तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार खाद्य निगम के पास पंजाब राज्य में उपलब्ध गोदामों की संख्या और उनकी कुल भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की) का ब्यौरा दिया गया है । **(नीचे देखिए)** ।

(ङ) प्राइवेट गोदाम किराये पर लेने के लिए भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रमुखों को एक वर्ष की अवधि के लिए 60 पैसे प्रति वर्ग प्रति फुट मास की दर से किराया निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और आंचलिक प्रमुखों को गुण-दोष के आधार पर प्रस्तावों की जांच करने के बाद 60 पैसे से भी अधिक किराया निश्चित करने की पूरी शक्तियां प्रदान की गई हैं । राज्य सरकार के गोदामों को देय किराया स्थानीय गोदामों के किराये के तुल्य होता है । क्षेत्रीय और आंचलिक प्रमुख ये दरें निश्चित करने के लिए सक्षम होते हैं । केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों के लिए किराये की देय दर 95 किलोग्राम के वजन की प्रत्येक बोरी के लिए 1.00 रुपया प्रति मास है । केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों के लिए देय किराये की दर राज्य भण्डारण निगम के उन गोदामों पर भी बराबर लागू होती है जो केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों के तुलनीय मानकों के अनुरूप उपलब्ध होते हैं ।

(च) और (छ) पहली जून, 1992 की स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य में ढकी हुई कुल भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की) का औसत उपयोग 83 प्रतिशत था जबकि भारतीय खाद्य निगम के अपने (ढके हुए) गोदामों का क्षमता उपयोग लगभग 78 प्रतिशत था । भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों का उपयोग न केवल भारतीय खाद्य निगम के कुछेक अपने गोदामों में कभी-कभी हैंडलिंग मजदूरों द्वारा औद्योगिक संबंधों के बारे में उत्पन्न की गई समस्याओं के कारण बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि विभिन्न गोदामों के उपयोग वसूली मौसम के दौरान वसूली की मात्रा और भारतीय खाद्य निगम के लिए मंडियों, के आवंटन के साथ सम्बद्ध की जाती है औसत उपयोग की तुलना में मामूली कम है ।

विवरण

1.4.1992 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास पंजाब राज्य में उपलब्ध गोदामों की संख्या और उनकी कुल भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की) का ब्यौरा बताने वाला विवरण

	गोदामों की संख्या	भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टन में)
I. ढकी हुई		
(1) भारतीय खाद्य निगम की अपनी	104	20.52
(2) निम्नलिखित से किराये पर ली गई		
(i) सरकारी क्षेत्र (राज्य सरकार सहित)	70	7.37
(ii) प्राइवेट पार्टियां	83	15.53
जोड़ (ढकी हुई) :	257	43.42
II. कैप		
(1क) भारतीय खाद्य निगम की अपनी	74	4.01
(1ख) किराए की*	38	3.90
जोड़ कैप :	112	7.91
कुल जोड़ : (ढकी हुई और कैप)	369	51.33

*सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट पार्टियों से किराए पर ली गई क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।